मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन-भोपाल-462004

क्रमांक एफ 7-42/2012/आप्र/एक भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2019

प्रति

समस्त अनुविभागीय अधिकारी "राजस्व" (पदाभिहित अधिकारी)
समस्त जिला कलेक्टर (प्रथम अपीलीय अधिकारी)
समस्त संभागायुक्त (द्वितीय अपीलीय अधिकारी)
मध्यप्रदेश

विषयः-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त, घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में ।

संदर्भः-सामान्य प्रशासन विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 13 जनवरी 2014, 11 अगस्त 2016 एवं 13 अगस्त 2018

--0--

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं विमुक्त घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए निर्देश जारी किये गये हैं ।

2. शासन के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों का समुचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा हैं । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी कारणवश वर्ष 1950 की स्थिति में प्रदेश में निवासरत् होने का लिखित रिकार्ड नहीं होने पर उनके जाति प्रमाण पत्र के आवेदनों को मौके पर जाकर जांच पड़ताल किए बिना ही निरस्त किया जा रहा है ।

3. उक्त संबंध में संदर्भित परिपत्र दिनांक 13.01.2014 की कंडिका निम्नानुसार है :-

> "आवेदक जिनके पास वर्ष 1950 (अन्य पिछडे वर्गों के लिये 1984) या उससे पहले से मध्यप्रदेश का निवासी होने संबंधी लिखित रिकार्ड नहीं है, तो उसे यह लिखित रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु विवश न किया जाए । राजस्व अधिकारियों को स्वयं मौके पर जाकर/कैम्प में, जांच कर आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी की पुष्टि करना चाहिये । इसके लिये आवेदक/संबंधित सरपंच/पार्षद/उस ग्राम, मोहल्ले के संभ्रान्त व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किये जाना चाहिये और स्वयं की संतुष्टि के बाद स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा करना चाहिये ।"

.....2

4. इसी अनुक्रम में परिपत्र दिनांक 11 अगस्त 2016 एवं 13 अगस्त 2018 द्वारा भी ऐसे नागरिक जिनके परिवार के किसी सदस्य पिता/भाई/बहन को पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उन प्रकरणों में छान-बीन नहीं कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश है क्योंकि आवेदक एवं उसके परिवार के संबंध में एक बार, छान-बीन कर जाति एवं निवास की पुष्टि की जा चुकी है ।

5. कृपया शासन के उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ।

(के.के. कातिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 7-42/2012/आप्र/एक भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2019

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल;
2. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल;
3. मान. मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल;
4. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, म.प्र. शासन, भोपाल;
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल;
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल;
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल;
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश;
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातिय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग;
10. सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल;
11. सचिव म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर;
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल;
13. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल;
14. निदेशक अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं 103, तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी पूजा गुप्ता, हैदराबाद- 500082

15. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/पिछड़ा वर्ग आयोग;
16. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर;
17. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल;
18. प्रमुख सचिव/अपर सचिव/उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग;
19. आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश, भोपाल;
20. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय, मंत्रालय, भोपाल;
21. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश;
22. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना) की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ;

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । कृपया इन निर्देशों से अपने अधीनस्त सभी संबंधितों को अवगत कराएं ।

(के.के. कातिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग